न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी, जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री विवेक व्यास (आरएएस)

राजस्व विविध संख्याः– 10/2023

दर्ज दिनांकः– 6.4.2023

प्रार्थीः–

1. नेकाराम पुत्र पोमाराम जाति–जणवा चौधरी, निवासी–सादडी तहसील–देसूरी।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीः–

1. तहसीलदार (भूमिधारी) देसूरी, जिला–पाली।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली।
2. पैरोकार सरकार श्री शंकरलाल नायब तहसीलदार देसूरी अप्रार्थी उपस्थित।

दिनांक 27/3/2024

–: निर्णय :–

प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम सरहद सादडी चक 2 , पटवार हल्का सादडी चक 2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सादडी, तहसील–देसूरी, जिला पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 5828 क्षेत्रफल 0.1800 हैक्टर, खसरा संख्या 5829/1 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 5835/1 क्षेत्रफल 02.0100 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 02.3300 हैक्टर देय लगान 84.83/– रूपये की भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार और आधिपत्य की विद्यमान है। प्रमाण में खाता संख्या 803 की वर्तमान जमाबंदी, आधार कार्ड पेश है।

यह है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में जंगली जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान करने का खतरा बना रहता है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि को सुधार कार्य के लिए चारों तरफ तारबंदी सुरक्षा दीवार इत्यादी बनाने के लिए

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पत्थरगढी करवाई जाना नितांत आवश्यक होने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराया जावे, लेकिन कोई फिल्ड बुक मुस्तकिल माठ नाप नहीं किया गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत खसरा संख्या 5828, 5829/1, 5835/1 की सीमा पर पत्थरगढी करवाए जाने का पेश कर आदेश प्राप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा कश्त की कृषि भमि मौजा सरहद सादडी चक 2, पटवार हल्का सादडी चक 2, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सादडी तहसील–देसूरी जिला–पाली की सीमा क्षेत्र के खसरा संख्या 5828 क्षेत्रफल 0.1800 हैक्टर, खसरा संख्या 5829/1 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, खसरा संख्या 5835/1 क्षेत्रफल 02.0100 हैक्टर, कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 02.3300 हैक्टर की कृषि भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी ने सादडी चक 2 के खसरा नंबर 5828 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नंबर 5829/1 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 5835/1 रकबा 02.0100 हेक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 02.3300 हेक्टर की कृषि भूमि की पत्थरगढी चाही गई है। उक्त प्रार्थी की भूमि लोक अदालत केम्प कोर्ट 2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा–ए–आम शिविर कस्बा सादडी में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 आरटी एक्ट के तहत खसरा नंबर 5828 से 5837 एवं खसरा नंबर 5839 कुल खसरा 11 कुल रकबा 09.45 हैक्टर भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा पक्षकारान के मध्य दिनांक 29.06.2016 को किया गया है।

बंटवाडे की डिक्री के तहत प्रार्थी के हक बंट में उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 5835/1, 5828, एवं 5829/1 कुल रकबा 2.33 हैक्टर की आई है जिसकी पत्थरगढी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धरा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि प्रार्थी के बंट में बंटवाडे की डिकी के दौरान प्राप्त हुई है। उक्त भूमि बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी के बंट की उक्त भूमि की सीमा पर पत्थरगढी के आदेश करावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार देसूरी द्वारा कोई कथन नहीं किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेज, नक्शों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के बंट की भूमि विभाजन की पारित डिकी के दौरान प्राप्त हुई है। जिसकी कोई विवाद नहीं होना जाहिर है।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर
(एफ.टी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम सादडी चक 2 के खसरा नंबर 5828 रकबा 0.01800 हैक्टर, खसरा नंबर 5829/1 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 5835/1 रकबा 02.0100 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 02.3300 हैक्टर कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार देसूरी को आदेश की प्रति के साथ नक्शों की फोटो प्रतिया अलग–अलग खसरा वाईज न्यायालय द्वारा पारित विभाजन के डिक्री आदेश दिनांक 29.06.2016 की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है। कि उपरोक्त कृषि भूमि के आस पडोस के खातेदारों को सूचित करते हुए प्रार्थी के बंट की कृषि भूमि की पत्थरगढी की जावे।

आदेश की पालना की जाकर पालना रिर्पोट एक माह की अवधि के भीतर न्यायालय हाजा को भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि रुपये 500/– जमा करावे। पत्थरगढी की राशि कमिश्नर फीस रुपये 500/– संबंधित भू.अ.नि. को मौके पर प्रार्थी अदा करे।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27.3.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.3.2024

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner